UPET110113472022

<u>अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जलेसर, एटा</u>

J.O. Code. U.P. 1995

जमानत प्रार्थना पत्र सं0—855 /2022

आकाश कुमार आदि ———बनाम————राज्य

<u>12.10.2022</u>

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण आकाश कुमार एवं मुन्नालाल की ओर से अपराध सं0—205/2022 अ0धारा—323,504 भा0दं0सं0, थाना निधौली कला, जिला एटा के प्रकरण में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्व है।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया है कि प्रार्थीगण द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अपराध जमानतीय है।

अभियोजन पक्ष द्वारा कथन किया गया है कि अपराध जमानतीय प्रकृति का है।

सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों का अवलोकन किया। जिससे विदित है कि उक्त प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध जमानतीय है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत दखते हुए अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण आकाश कुमार एवं मुन्नालाल की ओर से अपराध सं0—205/2022 अ0धारा—323,504 भा0दं0सं0, थाना निधौली कला, जिला एटा के प्रकरण में प्रत्येक द्वारा मु0—20,000/—रूपये का एक व्यक्तिगत बंध पत्र तथा समान धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जावे।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जलेसर, एटा